राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक : एफ 31(01)(13)/पोक्सो/समीक्षा/19/ 46009 जयपुर, दिनांक: 02-11-2021

आदेश

विषयः– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत् पीड़ित बालक/बालिकाओं को विशेष राहत प्रदान किये जाने के संबंध में।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 8(1) के तहत बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर अधिनियम के अन्तर्गत पीड़ित बालक/बालिका को संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निम्नानुसार विशेष राहत प्रदान की जायेगी–

(क) कपड़ा, बर्तन, चप्पल, परिवहन आदि आकस्मिक जरूरतों हेतु रू. 12,000/– एकमुश्त।

(ख) चावल गेहूं, दालों, दलहन आदि भोजन सामग्री हेतु रू. 1,500/– प्रतिमाह प्रति सदस्य, तीन माह की अवधि के लिए।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत् पीड़ित बालक/बालिकाओं को निर्धारित विशेष राहत प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी–

1. बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़ित बालक/बालिका के समिति के समक्ष प्रस्तुत होने अथवा पुलिस से अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किसी प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फॉर्म–ख में प्रारंभिक आंकलन रिपोर्ट प्राप्त होने पर विशेष राहत की आवश्यकता वाले उपयुक्त प्रकरणों में समुचित आंकलन उपरांत पीड़ित बालक/बालिका की भोजन, कपड़ा, बर्तन, चप्पल, परिवहन आदि आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष राहत प्रदान करने के संबंध में संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई को सिफारिश प्रेषित की जायेगी।

2. बाल कल्याण समिति से सिफारिश प्राप्त होने उपरांत जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तत्काल पीड़ित बालक/बालिका को विशेष राहत जारी करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

फोन नं. – 0141-2399335, 2399336, ई–मेल – dcr.raj@rajasthan.gov.in,
वेबसाईट – www.dcr.rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने उपरांत पीड़ित बालक/बालिका को बैंक खाते के माध्यम से विशेष राहत जारी की जायेगी। इस संबंध में की गई कार्यवाही से बाल कल्याण समिति को लिखित में सूचित किया जायेगा।

4. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 8(2) के तहत पीड़ित बालक/बालिका को विशेष राहत का भुगतान बाल कल्याण समिति से सिफारिश की प्राप्ति से अधिकतम 07 दिवस में आवश्यक रूप से किया जायेगा।

5. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पीड़ित बालक/बालिका को विशेष राहत का भुगतान इकाई के अधीन नवीन मद "स्पेशल रिलिफ" में से किया जायेगा।

6. बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़ित बालक/बालिका को संस्थागत देखरेख उपलब्ध कराने की स्थिति में विशेष राहत की पूर्ति संबंधित बाल देखरेख संस्थान द्वारा की जायेगी तथा इन परिस्थितियों में विशेष राहत देय नहीं होगी।

7. बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पीड़ित बालक/बालिकाओं के विशेष राहत की सिफारिश/स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में समुचित रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।

8. पीड़ित बालक/बालिका को विशेष राहत प्रदान करने से पीड़ित बालक/बालिका अथवा उसके परिजन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 9(10) के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा अन्य अधिनियमों/योजनाओं के तहत् प्रतिकर/मुआवजा प्राप्त करने के लिये अपात्र नहीं होगें।

9. पीड़ित बालक/बालिका को विशेष राहत जारी करने के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्राथमिकता से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग, राजस्थान की आई.डी. संख्या 102104528 दिनांक 26.10.2021 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अनुप्रेरणा सिंह कुंतल)
आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

फोन नं. – 0141-2399335, 2399336, ई–मेल – dcr.raj@rajasthan.gov.in,
वेबसाईट – www.dcr.rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

क्रमांक : एफ 31(01)(13)/पोक्सो/समीक्षा/19/46010–233 जयपुर, दिनांक: 02-11-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
2. शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
3. नोडल अधिकारी, माननीय किशोर न्याय समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज. जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज. जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
8. समस्त पीठासीन अधिकारी, पोक्सो कोर्ट (विशेष न्यायालय)।
9. समस्त प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट/सदस्यगण, किशोर न्याय बोर्ड।
10. समस्त अध्यक्ष/सदस्यगण, बाल कल्याण समिति।
11. समस्त प्रभारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट फॉर क्राईम अगेन्सट वूमेन)।
12. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग।
13. समस्त अधीक्षक, राजकीय बाल देखरेख संस्थान, बाल अधिकारिता विभाग।
14. समस्त समन्वयक, चाईल्ड लाईन–1098 ।
15. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

फोन नं. – 0141-2399335, 2399336, ई–मेल – dcr.raj@rajasthan.gov.in,
वेबसाईट – www.dcr.rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner